न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 295/2017/223 आर टी ए

1. सुखराज सिंह पुत्र रसालूसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. लखवंतसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
2. छिन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
3. निन्दरसिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
4. जोगेन्द्रसिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
5. लखवीरकौर पत्नि गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
6. बलजिन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।

––असल रेस्पो0

7. सुखदर्शनसिंह पुत्र कालासिंह (फौत)

7/1 लच्छो कौर पत्नि सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7/2 हरदीपसिंह पुत्र सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7/3 राजपालकौर पुत्री सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7/4 अमरजीत कौर पुत्री सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7/5 लीसा कौर पुत्री सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

8. मंगलसिंह पुत्र कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सुखमन्द्रसिंह पुत्र कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. गुरमीतकौर पुत्री कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. नसीबकौर पुत्री कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. सुखविन्द्रकौर पुत्री कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. सरजीतकौर पुत्री कलासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

14. जरनैलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. हरबंशसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
16. तेजकौर पत्नि महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
17. गोलोकौर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
18. परमजीतकौर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
19. मूर्तिकौर पत्नि गुरचरणसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
20. हरप्रीत कौर पुत्री गुरचरणसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
21. शोभा सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
22. जसवंतसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
23. मखनसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
24. जसपालसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
25. लक्ष्मणसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
26. गुरप्रीत कौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
27. निक्कोकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
28. केलोकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
29. तेजकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
30. गूराकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी रेस्पो.

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0सं0 473/15 अनवानी लखवंतसिंह बनाम निन्दरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांट सं. 1

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

श्री महेन्द्र पाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8 ता 30

निर्णय दिनांकः–16.08.2018

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत पेश किया कि स्व. गुरनामसिंह व साधुसिंह पिसरान पठानासिंह के नाम तहसील टिब्बी के चक 5 एनडीआर के प.न. 183/333 के कि.न. 16 ता 19, 20 व प.न. 184/333 के कि.न. 12 ता 14, 15, 16, 19, 20 कुल 14 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है और रेस्पो0 सं. 1 ता 6 गुरनामसिंह व साधुसिंह के वारिसान है। इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 सं. 3 ता 6 को जरिये सम्मन दिनांक 20.10.2015 को तलब किया गया लेकिन बिना नोटिस तामिल हुये ही दिनांक 15.10.2015 को राजीनामा प्रस्तुत कर दिया इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 को इस बात की जानकारी थी कि उनके पिता द्वारा उक्त भूमि विक्रय हुई है। अपीलांट के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से हित प्रभावित हो रहे है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्तागण अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत आधारहीन, विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 ता 6 को उक्त तथ्य का पूर्णतया ज्ञान था कि चक 5 एनडीआर मे दर्ज भूमि जो स्व. गुरनामसिंह व साधुसिंह पिसरान पठानासिंह द्वारा अपीलांट सं. 1 व उनके भाई क्रमशः कालासिंह, भूरासिंह, महेन्द्रसिंह, गुरचरणसिंह व सरजीतसिंह पिसरान रसालूसिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा विक्रय कर दी थी लेकिन उक्त तथ्य रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 ता 30 को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया तथा न्यायालय से तथ्य छिपाकर उक्त विक्रयशुदा भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा जरिये डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही था जिसका ज्ञान अपीलांट द्वारा दिनांक 02.08.2017 को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत अन्य अपील के संबंध मे अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी व अन्य दस्तोवज की प्रमाणित प्रति हेतु कहा तो अपलांट द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 02.08.17 को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दी तब अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पड़ताल की तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे पक्षकार नही थे इसलिए अपीलांटस यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार अपील प्रस्तुत करने स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद मानी

जावें। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कोई दुरभिसंधि नही है बल्कि प्रश्नगत भूमि चक 5 एनडीआर के प.न. 183/333 कि.न. 16 ता 19, 20 व प.न. 184/333 कि.न. 12 ता 14, 15, 16, 19, 20 कुल 14 बीघा भूमि के संबंध मे वादीगण व प्रतिवादीगण ने विधि अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त की है। अपीलांट का यह कथन कि उक्त 14 बीघा भूमि दिनांक 04.06.1969 को अपीलांट द्वारा कथित बैयनामा के जरिये गुरनामसिंह व साधुसिंह द्वारा विक्रय कर दी हो कतई असत्य है। कथित विक्रय पत्र गुरनामसिंह व साधुसिंह द्वारा निष्पादित नही है बल्कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है उक्त बैयनामा पर विक्रेता के अंगूठा/हस्ताक्षर नही है जो फर्जी तौर पर तैयार करवाया गया है। इसलिये बैयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट का कोई सरोकार नही है। अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि पर अपना व अपने हकीकी भाईयों व उनके वारिसों का कब्जा काश्त होने का मिथ्या कथन किया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 6के नाम दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पो0. सं. 7 ता 30 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि नही है। राजस्व रिकार्ड मे अपीलाधीन वाद पत्र प्रस्तुत करते समय वादग्रस्त आराजी साधुसिंह व पूर्ण सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने से अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 ता 30 के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ रहा है क्योंकि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 7 ता 30 का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट ना तो आवश्यक पक्षकार थे और ना ही प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा मियाद प्रार्थना पत्र मे अपील प्रस्तुति मे हुई के संबंध मे स्पष्ट कारणों का उल्लेख नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. पत्रावली का अवलोकन करने एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा

का दावा पेश किया। जो अपीलाधीन निर्णय के जरिये रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं 3 ता 6 के पक्ष मे डिक्री किया गया जबकि चक 5 एनडीआर मे स्थित भूमि जो स्व. गुरनामसिंह व साधुसिंह पिसरान पठानासिंह द्वारा अपीलांट व उनके भाई क्रमशः कालासिंह, भूरासिंह, महेन्द्रसिंह, गुरचरणसिंह व सरजीतसिंह पिसरान रसालूसिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 04.06.1969 को विक्रय कर दी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं 3 ता 6 के नाम घोषणा कर दी गई। वादग्रस्त भूमि अपीलांटा की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा भूमि है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे आवश्यक पक्षकार थे एवं अहम जवाबदेही रखते है। जहां तक रेस्पो0 का यह तर्क कि अपीलांट के पक्ष मे हुए निष्पादित उपरोक्त बैयनामे फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है मानने योग्य नही है क्योंकि उक्त दस्तावेज बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको निरस्त करने की अधिकारिता सक्षम सिविल न्यायालय को है तथा रेस्पो0 द्वारा आज तक उक्त बैयनामा फर्जी होने संबंधी कोई कार्यवाही नही की गई। उपरोक्त परिस्थितियों मे प्रभावित पक्षकार को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अपीलांटस को पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official